



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)
शासन सचिवालय जयपुर



(Ph:-0141-2227229, Email ID:- pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ 5(8)ग्रावि/अनु-8/जि.प्र.निरीक्षण/2019

जयपुर, दिनांक : 21/09/2021

::आदेश::

प्रशासन गावों के संग अभियान-2021 की पूर्व तैयारियों के लिए दिनांक 20.09.2021 से 30.09.2021 तक गांव सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें ग्राम स्तर पर प्रशासन गावों के संग आम जन हित के किये जाने वाले कार्यों की जानकारी एवं प्रचार-प्रसार किया जाना है।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 08.09.2021 द्वारा जारी निर्देशों की निरन्तरता में समस्त जिला प्रभारियों को माह सितम्बर में राजीविका, बायोफ्यूल प्राधिकरण एव महात्मा गांधी नरेगा की नर्सरी के निरीक्षण के साथ-साथ दिनांक 20.09.2021 से 30.09.2021 तक गांव सभाओं का भी निरीक्षण/उपस्थित होकर गांव सभा में किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे एवं स्वयं की उपस्थिति के साथ ग्राम सभाओं के फोटों विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार भ्रमण रिपोर्ट दिनांक 04.10.2021 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(क. क. पाठक)

शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका परियोजनाएँ।
6. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
7. जिला कलक्टर, समस्त।
8. राज्य स्तरीय योजना प्रभारी.....।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
10. संबंधित अधिकारी श्री।
11. एसीपी/प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
12. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मों. एवं मू.)



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)
शासन सचिवालय जयपुर



(Ph:-0141-2227229, Email ID:- pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ 5(8)ग्रावि/अनु-8/जि.प्र.निरीक्षण/2019

जयपुर, दिनांक : 08/09/2021

::आदेश::

ग्रामीण विकास की संचालित योजनाओं की सफल क्रियान्विति, गुणात्मक परिसम्पत्ति सृजन, आकर्षक आधारभूत ढाँचा विकसित करने, योजनाओं की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय अधिकारियों को विभागीय आदेश दिनांक 11.08.2021 द्वारा जिला प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

जिला प्रभारी अधिकारियों द्वारा आवंटित जिलों में संचालित सभी योजनाओं का निरीक्षण किया जाता रहा है, जिसमें कम प्रगति या अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं का प्रभावी निरीक्षण नहीं होने के कारण समस्त जिला प्रभारी अधिकारियों को भ्रमण के दौरान योजनाओं का थीम बेस्ड निरीक्षण किये जाने हेतु निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

- माह सितम्बर में भ्रमण के दौरान राजीविका, बायोफ्यूल प्राधिकरण एवं मनरेगा की नर्सरी के कार्यों का निरीक्षण किया जावे।
- माह अक्टूबर में "प्रशासन गावों के संग" अभियान-2021 व प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यों का निरीक्षण किया जावे।
- प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित भ्रमण समीक्षा बैठक में निर्धारित प्रपत्र में भ्रमण/निरीक्षण रिपोर्ट एवं थीम बेस्ड निरीक्षण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जावे।
- शेष दिशा निर्देश यथावत रहेगें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(के.के.पाठक)

शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
6. निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका परियोजनाएँ।
7. जिला कलक्टर, समस्त।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
9. संबंधित अधिकारी श्री
10. एसीपी/प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मों. एवं मू.)